भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 287
दिनांक 22 जुलाई, 2025 / 31 आषाढ़, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

अत्यधिक मानसून वर्षा के कारण नुकसान

†287. श्री सुधीर गुप्ताः

श्री मनीष जायसवालः

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः

श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतरावः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के कुछ भागों में हाल ही में मानसून पूर्व अत्यधिक वर्षा हूई है, जिसके कारण संपत्ति और जन-जीवन का भारी नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो देश के विभिन्न राज्यों में अत्यधिक मानसून वर्षा के कारण कुल कितनी जन-हानि और संपति का नुकसान हुआ है;

(ग) क्या सरकार ने प्रभावित राज्यों/क्षेत्रों का दौरा करे और नुकसान का आकलन करने के लिए कोई केंद्रीय दल गठित किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त मुआवजा कब तक दिए जाने की संभावना है और उक्त दल के निष्कर्ष क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का इन आकस्मिक बाढ़ों में जान-माल गंवाने वालों के परिजनों को कोई मुआवजा देने का विचार है यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त मुआवजा कब तक दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क, योजना और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं को बहाल करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून 24 मई 2025 को केरल में पंहुचा, जो इसकी सामान्य तिथि 1 जून से 8 दिन पहले था। 2009 में 23 मई को मानसून का

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 287, दिनांक 22.07.2025

आगमन होने के बाद यह 17 वर्षों में सबसे जल्दी आगमन है। इसके बाद 29 मई तक यह तेज़ी से आगे बढ़ा और दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत को कवर किया। मुंबई में, यह सामान्य तिथि 11 जून के बजाय 26 मई को आगे बढ़ा। पिछले 75 वर्षों में मुंबई में यह सबसे जल्दी मानसून का आगमन है। दक्षिण-पश्चिम मानसून 8 जुलाई से 9 दिन पहले 29 जून 2025 को पूरे देश में पहुँच गया। प्रमुख वर्षा गतिविधियां मुख्य रूप से जून के दूसरे पखवाड़े और 1-15 जुलाई 2025 के दौरान देखी गईं। अत्यधिक अनुकूल समकालिक प्रणालियों और मानसूनी हवाओं के कारण, गुजरात और राजस्थान सहित भारत के मध्य और पश्चिमी भागों में नियमित रूप से भारी वर्षा हुई है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में अत्यधिक से बहुत अधिक वर्षा हुई है, जिसके कारण समय से पहले बाढ़ की घटनाएं भी सामने आई हैं।

(ख) मंत्रालय किसी भी आपदा के कारण हुए नुकसान का डेटा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखता है। हालांकि, विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, चालू वर्ष (16.07.2025 तक) के दौरान जल-मौसम संबंधी आपदाओं के कारण हुए नुकसान का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ग): फ्लैश बाढ़/बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन के कारण हुए नुकसान के आकलन के लिए ज्ञापन की प्रतीक्षा किए बिना, हिमाचल प्रदेश के लिए एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) का गठन किया गया है।

(घ) और (ङ): प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) / राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के तहत वित्तीय सहायता राहत के माध्यम से है, न कि पीड़ित / दावा किए गए नुकसान के मुआवजे के लिए। आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, जमीनी स्तर पर राहत सहायता के वितरण सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। हालांकि, स्थापित प्रक्रिया के अनुसार एसडीआरएफ/एनडीआरएफ से भूस्खलन और बाढ़ सहित अधिसूचित आपदाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। संबंधित राज्य सरकार को भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार, राज्य सरकार के पास पहले से मौजूद एसडीआरएफ से भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक राहत उपाय करने की आवश्यकता है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 287, दिनांक 22.07.2025

चालू वित्त वर्ष (15 जुलाई, 2025 तक) के दौरान, केंद्र सरकार ने राज्यों के प्रभावित लोगों की सहायता के लिए एसडीआरएफ के तहत 22 राज्यों को 9578.40 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा जारी किया है। राज्यों को एसडीआरएफ/ एनडीआरएफ के तहत आवंटित और जारी की गई धनराशि का विवरण आपदा प्रबंधन, गृह मंत्रालय की वेबसाइट https://ndmindia.mha.gov.in पर उपलब्ध है।

*****

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 287, दिनांक 22.07.2025

अनुलग्नक

01.04.2025 से 16.07.2025 तक जल-मौसम संबंधी आपदाओं के कारण राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किए गए नुकसान का विवरण

क्र. सं.	राज्य	मानव जीवन की हानि (संख्या)	मवेशी खो गए (संख्या)	मकान/झोपड़ियाँ क्षतिग्रस्त (संख्या)	प्रभावित फसल क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	आंध्र प्रदेश	258	--	--	--
2	अरुणाचल प्रदेश	14	143	761	1713.47
3	असम	32	14256	39810	29714.89
4	बिहार	101	--	-	--
5	छत्तीसगढ़	11	36	148	-
6	गोवा	2	--	242	-
7	गुजरात	63	686	2015	--
8	हिमाचल प्रदेश	171	23818	1528	--
9	कर्नाटक	89	807	3901	18097
10	केरल	71	--	4934	-
11	मध्य प्रदेश	148	325	986	-
12	महाराष्ट्र	69	208	1197	91429
13	मणिपुर	7	171	17725	1481.28
14	मेघालय	14	11	1846	6372.30
15	मिजोरम	14	--	72	--
16	नागालैंड	03	--	803	11
17	ओडिशा	02	517	4537	753
18	पंजाब	24	25	58	3569.11
19	राजस्थान	43	39	23	--
20	सिक्किम	8	--	1108	5.66
21	त्रिपुरा	23	07	8260	--
22	उत्तर प्रदेश	21	--	--	--
23	उत्तराखंड	75	60	279	8.47
24	पश्चिम बंगाल	--	--	--	--
25	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	01	--	03	--
26	दादरा और नगर हवेली	--	--	01	--
27	जम्मू और कश्मीर	33	10590	2418	1239.09
28	लद्दाख	--	--	-	--
29	लक्षद्वीप	--	--	-	--
30	पुडुचेरी	--	--	08	--
	कुल	**1297**	**51699**	**92663**	**154394.27**

*****